

# NHRC notice to UP govt; admin starts relief work

**Peeyush Khandelwal**

peeyush.khandelwal@hindustantimes.com

**GHAZIABAD:** Taking cognisance of media reports on the roof collapse incident at the Ukharsa cremation ground in Muradnagar, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to Uttar Pradesh chief secretary and the director general of police, calling for a detailed report, where 24 people lost their lives on Sunday.

"The report must contain review of all crematoriums, burial grounds and other such buildings which are used by the general public for community activities in the state and maintained by the local administrative authorities. The authorities concerned must ensure proper maintenance of such places to avoid any untoward incidents in future posing danger to human lives," the NHRC said on Tuesday.

The Commission has also asked the state government, through its senior officers, about the present status of the investigation of the case as well as the health condition of those injured.

"The incident is required to

be investigated thoroughly so that the guilty could be adequately punished, as per the provisions of the law," the Commission added.

In the meantime, the Ghaziabad district administration has started the process of providing relief to victim families.

"We have deployed several teams of counsellors and health officials who are taking up counselling of victim families as they are under severe trauma. The education department is also taking up works related to free education and scholarship for their children. Besides, food items and ration are being provided to the families," said Ajay Shankar Pandey, district magistrate.

He added that the officials have identified 12 of the 18 affected families who will be provided benefits under different government schemes such as the Parivarik Pension Yojna, Vidhwa Pension, Pradhan Mantri Awas Yojna and also under schemes meant for disabled persons.

An FIR has been lodged into the incident and so far, five persons have been arrested.

The DM has also initiated action against the erring per-

sons and directed the police to initiate strict action against the suspects under provisions of the National Security Act, the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act and also under the Prevention of Damage to Public Property Act.

"It has also been directed to the Ghaziabad development authority and the municipal corporation to get a quality of works taken up by the contractor checked and to stop payments to him, besides getting the firm blacklisted. It has also been directed to other agencies to blacklist the contractor if he is registered with any respective agency," Pandey said, adding that recovery of payments made, along with interest, is to be initiated with issuance of recovery-certificates.

"A team of senior engineers from the authority, the civic agency and the UP Rajkiya Nirman Nigam has been constituted to check the quality of construction at the cremation ground and for other works taken up at Muradnagar. If the quality is not up to standards, recovery certificates will be issued for recovery of the funds," Pandey added.

**लापरवाही:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी से तलब की रिपोर्ट

# छात्र की मौत के पांच साल बाद भी आईओ ने नहीं ली विसरा रिपोर्ट

**हिन्दुस्तान**

**एक्सप्लूसिव**

मुजफ्फरपुर | सोमनाथ सत्योम

जिला पुलिस की लापरवाही का एक और नया मामला सामने आया है। छात्र की मौत के पांच साल बाद भी आईओ ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री (एफएसएल) से विसरा रिपोर्ट नहीं ली है। इससे मौत की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। इसपर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाराजगी जतायी है।

आईओ के खिलाफ कार्रवाई कर एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा केस की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। बताया जाता है कि फरवरी में इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सुनवाई होनी है। मीनापुर थाने के मधुबनी कांटी के छात्र सुनील कुमार

## कार्रवाई का निर्देश

- केस के आईओ की लापरवाही पर कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी
- फरवरी में इस मामले को लेकर आयोग में होनी है सुनवाई

**05**

अप्रैल 2015 को मीनापुर के छात्र की हुई थी मौत

**04**

लोगों के खिलाफ दर्ज करायी गई थी एफआईआर

## मीनापुर थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर

सुनील की मौत पांच अप्रैल 2015 को एकेएमसीएच में हुई थी। मीनापुर थाने में 06 अप्रैल 2015 को चार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई गई थी। पिता जयप्रकाश सहनी ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी। पुलिस सूत्रों की माने तो वर्तमान में इस केस के आईओ कौन हैं, इसकी जानकारी नहीं है। आयोग के निर्देश के बाद फाइल खंगाली जा रही है।

की हत्या जहर देकर कर दी गई थी। इस संबंध में पिता जय प्रकाश सहनी ने एफआईआर कराई थी। शव के पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने विसरा सुरक्षित रख लिया था।

आईओ ने वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल भेजा था, लेकिन पांच साल

बाद भी आईओ ने एफएसएल से रिपोर्ट नहीं ली है। वहीं एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि थाने से प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है। प्रगति रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रिपोर्ट जल्द ही आयोग को भेजी जाएगी।

## 50 हजार अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्देश

पुलिस से रिपोर्ट मिलने में विलंब होने की सूरत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी को जयप्रकाश सहनी को 50 हजार रुपये अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि इस राशि की निकासी जिला कोषागार से की जाएगी।

## पिता ने कहा, बेटे को नहीं मिला न्याय

जयप्रकाश सहनी ने बताया कि उनके बेटे की मौत को करीब पांच साल नौ महीने हो गए, लेकिन जहर खिलाने से मौत हुई या अन्य कारणों से, इस बारे में पुलिस अबतक नहीं बता सकी है। बेटे को न्याय नहीं मिल सका है। आरोपितों पर कार्रवाई नहीं हो सकी है।

## **Crematorium: NHRC seeks report in 4 weeks; NSA invoked**

**LUCKNOW/NEW DELHI:** Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath on Tuesday told officials to invoke the stringent National Security Act over the roof collapse in Ghaziabad that killed 24 people as the NHRC sought a report from the state govt over the incident. Meanwhile, police held two contractors, taking the number of

arrests in the case to 5. One of them alleged he had paid Rs16 lakh to an official, who is also in custody. The UP govt said, "CM Yogi Adityanath has directed the NSA be slapped against the accused persons. He directed loss of public money during the construction work be recovered from the contractor and engineers."



मुख्यमंत्री ने डीएम व कमिश्नर को क्षेत्र में जाकर सरकारी भवनों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया

# जर्जर भवनों को ध्वस्त किया जाए: योगी




लखनऊ | विशेष संवाददाता

मुरादनगर हादसे पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम व कमिश्नर से कहा है कि वे खुद जाकर सरकारी भवनों का निरीक्षण करें। वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए जर्जर भवन को ध्वस्त करवाने का कार्यवाई करें।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोक भवन में उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकारी तथा निजी क्षेत्र में संचालित सभी बेसिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों तथा डिग्री कालेजों आदि के भवनों का गहन निरीक्षण किया जाए। इसी प्रकार सभी सार्वजनिक भवनों का भी निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कालोनियों के भवनों का निरीक्षण कर यह देखा जाए कि यह दुरुस्त हैं अथवा नहीं।

मुख्यमंत्री ने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक धान क्रय केंद्रों पर अतिरिक्त कटौत का प्रबन्ध किया जाए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा हो। धान खरीद कार्य निरन्तर संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान क्रय के तहत लक्ष्य की पूर्ति हो जाने के बाद भी धान खरीद का कार्य



मुरादनगर में हादसे के पीड़ित रीबिन की मां को मकान की चाबी सौंपते डीएम

## मुरादनगर हादसा: राष्ट्रीय मानवाधिकार का नोटिस

मुरादनगर में हुए हादसे को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः सज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट 4 सप्ताह में देने के निर्देश दिए। गाजियाबाद के मुरादनगर में 3 जनवरी को शमशान घाट की छत गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों जखमी हो गए थे। आयोग ने इस घटना में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि रिपोर्ट के साथ प्रदेश को ऐसे सभी शमशान घाटों, कब्रिस्तानों और अन्य स्थलों की

स्थिति के बारे में रिपोर्ट भी भेजी जाए जिनका गरीब व सामान्य लोग इस्तेमाल करते हैं। आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने पाएं।

आयोग ने मामले में दर्ज की गई रिपोर्ट में की गई कार्रवाई, मुआवजा देने की स्थिति के बारे में भी रिपोर्ट मांगी है। सरकार से घायलों की तबीयत के बारे में भी पूछा गया है। कहा है कि प्रथम दृष्टया लगता है कि ठेकेदार और विभागीय लापरवाही है।

निरन्तर जारी रखा जाए। उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त को इस सम्बन्ध में स्पष्ट सफुल्लर निर्गत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छह जनवरी 2021 से प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारम्भ किया जा रहा है।

किसान कल्याण मिशन के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यह आवोजन अन्तर्विभागीय समन्वय से सम्पन्न कराया जाए।

## निर्माण कार्यों में कमी पर डीएम व कमिश्नर जिम्मेदार: सीएम

लखनऊ। मंगलवार को अफसरों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक से कम मिली तो डीएम और कमिश्नर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ठेकेदार और इंजीनियरों के साथ डीएम, कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि

हर जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। जिले में हो रहे सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की टास्क फोर्स जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने हर बड़े प्रोजेक्ट की कम से कम तीन बार जांच गुणवत्ता जांच कराने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। उन्होंने चेताया कि

किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों से गुणवत्ता मानक के दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मानक से विपरीत गुणवत्ता मिली तो ठेकेदार, इंजीनियरों के साथ जिम्मेदार प्रशासनिक अफसरों को भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

# श्मशान घाट के निर्माण में खामियां



**श्मशान घाट  
हादसा**

गाजियाबाद | कार्यालय संवाददाता

मुरादनगर के श्मशान घाट में हुए सभी निर्माण स्थलों में लगी सामग्री की सोमवार को जांच की गई। तीन सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर कई खामियां पाईं। साथ ही सभी स्थलों की नपाई और इसमें लगी सामग्री की गुणवत्ता परखी। निर्माण स्थलों को सील कर दिया।

मुरादनगर के श्मशान घाट रविवार को हुए हादसे में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नाराज हैं। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। फिर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने श्मशान घाट में हुए निर्माण स्थलों में लगी निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया। इस संयुक्त टीम में जीडीए के चीफ इंजीनियर विवेकानंद सिंह, नगर निगम के चीफ इंजीनियर मोईनुद्दीन और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर छेदी लाल को शामिल किया गया है। सोमवार को टीम के सभी सदस्यों ने पहली नजर में ही गैलरी सहित सभी निर्माण स्थलों को निर्माण मानकों के विपरीत बताया। जांच के दौरान सभी निर्माण स्थलों के डिजाइन व निर्माण सामग्री से संतुष्ट ना होने पर इन्हें सील कर दिया। साथ ही इनकी बाहरी दीवार पर इनके असुरक्षित होने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं।

## ठेकेदार को महिला ने चप्पल से पीटा

गाजियाबाद। हादसे के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को एक महिला ने चप्पलों से पीटा। महिला का आक्रोश इतना था कि पुलिसकर्मियों को धक्का देकर उसने त्यागी पर दो बार चप्पल मारी।

महिला ने तीसरी बार भी प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने घेरा बनाकर आरोपी को वहां से निकाल लिया। यह घटना मंगलवार की दोपहर अदालत में पेश करने से ठीक पहले एमएमजी अस्पताल में मेडिकल कराने के वक्त की है। अस्पताल में होने की जानकारी मिलते ही काफी लोग जमा हो गए। लोग आरोपी को अपशब्द कहने लगे। इतने में भीड़ से एक महिला ने चप्पल निकालकर दे मारी।

## मुरादनगर हादसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार का नोटिस

लखनऊ। मुरादनगर में हुए हादसे को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर मामले में पूरी विस्तृत रिपोर्ट चार सप्ताह में देने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में 3 जनवरी को श्मशान घाट की छत गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों जखमी हो गए थे। आयोग ने इस घटना में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि रिपोर्ट के साथ प्रदेश की ऐसे सभी श्मशान घाटों, कब्रिस्तानों और अन्य स्थलों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट भी भेजी जाए जिनका गरीब व सामान्य लोग इस्तेमाल करते हैं। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने पाएं।

## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गाजियाबाद के मुरादनगर में श्मशान घाट पर हुए हादसे में 24 लोगों की मौत और 30 से अधिक के घायल होने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। आयोग ने मुख्य सचिव व डीजीपी से पूरे प्रकरण व इसमें की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है, जिससे दोषियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। आयोग ने कहा कि इस निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने के आरोप सामने आए हैं। गौरतलब है कि तीन जनवरी को श्मशान घाट पर लगभग 60 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे, तभी निर्माण स्थल ढह गया था। सरकार ने मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा घोषित किया था। ब्यूरो

## 'Pay Rs 3 lakh to kin of undertrial prisoner who committed suicide'

**NEW DELHI:** The National Human Rights Commission has again recommended to the Delhi government to pay Rs 3 lakh as compensation to the family of an undertrial prisoner who had "committed suicide" in Tihar jail three years ago, officials said on Tuesday.

The National Human Rights Commission, in a statement, also observed that if proper watch was maintained over him, his life might have been saved.

"NHRC has reiterated its recommendation that the Government of NCT of Delhi pay Rs 3 lakh as relief to the next of kin

of an undertrial prisoner (UTP) who committed suicide in Tihar Central Jail on May 11, 2018 for which it is yet to receive a report along with proof of payment in compliance of its directions on October 24, 2019. The life and security of a prisoner inside a jail need to be protected by the authorities concerned, but in this case, they have badly failed," the rights panel said in the statement. "The incident had apparently occurred in broad daylight due to lack of vigil on part of the prison authorities leading to human rights violation," it said.

MPOST

## ‘खुदकुशी करने वाले विचाराधीन कैदी के परिजनों को मुआवजा दे दिल्ली सरकार’

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तिहाड़ जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की खुदकुशी के मामले में मुआवजे को लेकर अपने पिछले प्रस्ताव को बरकरार रखा है। आयोग ने अपने पूर्व के प्रस्ताव को दोहराते हुए दिल्ली सरकार को मृतक के परिजनों को तीन लाख रुपये की सहायता राशि देने को कहा है। आयोग ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि यदि जेल प्रशासन ने कैदी पर नजर रखी होती तो शायद आत्महत्या की यह घटना नहीं होती। लेकिन जेल प्रशासन अपने दायित्व को निभाने में नाकामयाब रहा। दिनदहाड़े खुदकुशी की यह घटना जेल प्रशासन की लापरवाही को

दर्शाता है। यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है। इसलिए राज्य सरकार को मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये देने चाहिए।

तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी की आत्महत्या का यह मामला 11 मई, 2018 का है। दुष्कर्म और पास्को की धाराओं के तहत जेल संख्या तीन में बंद गनोरी प्रसाद (37) ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। प्रसाद के खिलाफ दिल्ली के सरिता विहार थाने में मामला दर्ज था। आयोग ने आत्महत्या के इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 24 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया था। एजेंसी



## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गाजियाबाद के मुरादनगर में श्मशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत पर उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने माना कि ठेकेदार और संबद्ध विभाग ने साफ तौर पर लापरवाही से काम किया, जिसके कारण लोगों के जीने के अधिकार का हनन हुआ। आयोग ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट में सभी श्मशान, कब्रिस्तान और ऐसे स्थलों के बारे में पूरी समीक्षा हो। आयोग ने संबंधित प्राधिकरणों को ऐसे स्थलों के उचित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना को रोका जा सके। ब्यूरो

# Roof collapse: Yogi orders NSA against accused, ₹10L relief

**NAMITA BAJPAI** @ Lucknow

UTTAR Pradesh CM Yogi Adityanath on Tuesday directed authorities to invoke the stringent National Security Act (NSA) against all the accused responsible for the roof collapse at a crematorium in Muradnagar town.

Yogi also increased the ex gratia from ₹2 lakh to ₹10 lakh and a dwelling to those who were homeless and lost their family member in the accident.

In other developments, contractor Ajay Tyagi, the main accused in the case, was arrested past Monday midnight. With Tyagi in police net, the number of arrested stands at four. Muradnagar Municipal Board executive officer Niharika Singh Chauhan, Junior Engineer Chandrapal Singh and supervisor Ashish have already been taken into custody.

Under the National Security Act, an individual can be de-

tained without a charge for up to 12 months. The individual also need not be informed of the charges for 10 days.

The CM, meanwhile, also ordered authorities of Ghaziabad and Muradnagar to blacklist the contractor who had made the roof of the shed which collapsed on Sunday killing 25 people and leaving about 50 injured.

As the shed at the cremation ground was thrown open for the public just a fortnight back, a notice was issued to the Ghaziabad DM and the Divisional Commissioner to explain the lapses despite clear cut orders making the physical verification of new construction worth

above ₹50 lakh mandatory for authorities. "Both the officials have been asked to explain as how the lapses occurred despite strict orders for physical verification of new constructions. More heads are likely to roll in the Muradnagar case," said a highly placed source.

## NHRC notice to UP govt

The NHRC has issued notice to the Uttar Pradesh government and sought a detailed report in the matter within four weeks from officials.

**JAIL SUICIDE**

# Pay ₹3lakh to kin of Tihar inmate, NHRC asks city govt

**EXPRESS NEWS SERVICE @New Delhi**

THE National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday reiterated its recommendation to the Delhi government to pay ₹3 lakh as relief to the family of an undertrial prisoner, who had died by suicide in the high security Tihar Central Jail two years ago.

The panel has found jail authorities to be negligent in the suicide case of 37-year-old Ganori Prasad and observed that if proper watch over him was maintained, his life might have been saved. Prasad, a resident of Sarita Vihar, was lodged in the jail on April 20, 2018, over a rape charge.

In a fresh order, the apex rights panel said it was yet to receive a report along with proof of payment in compliance with its directions on October 24, 2019.

“The life and security of the prisoner inside the jail need to be protected by the authorities concerned but in this case, they have badly failed. The incident had apparently occurred in brought daylight due to lack of vigil on part of the prison authorities leading to human rights violation,” it said in a statement.

The Commission had registered the case on receipt of an intimation, as per its standing guidelines, from the superintendent of Central jail no. 3, Tihar, where Prasad was lodged.

**मानवाधिकार आयोग ने  
उप्र सरकार, पुलिस  
प्रमुख को भेजा नोटिस**

नई दिल्ली (भाषा)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गाजियाबाद में एक श्मशान घाट की छत गिरने की घटना को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजा है। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि ठेकेदार और संबंधित विभाग ने 'लापरवाही' से काम किया जिससे कई लोगों के जीवन जीने अधिकार का हनन हुआ। आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया 'मानवाधिकार आयोग मीडिया में इस घटना को लेकर आई खबरों का संज्ञान लिया है।'



# Crematorium roof collapse: Officials told to invoke NSA

**24 people dead; NHRC seeks  
detailed report in 4 weeks**

LUCKNOW, PTI

**T**aking note of the crematorium roof collapse incident in Ghaziabad's Murad Nagar that claimed 24 lives, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Tuesday directed officials to invoke the stringent National Security Act (NSA) against the accused.

Twenty-four people, most of them attending a funeral, were killed and 17 others injured when the roof of a shelter at the cremation ground in Murad Nagar collapsed on Sunday.

In a statement issued here, UP government said, "Chief Minister Yogi Adityanath has directed that the National Security Act be slapped against the accused persons. He also directed that loss of public money during the construction work be recovered from the contractor and engineers."

The chief minister also announced an aid of Rs 10 lakh to the kin of each deceased.

The statement said the chief minister ordered to recover the loss to the state exchequer and the amount of government compensation paid to the bereaved families from the erring engineer and contractor.

He warned that in case the construction quality was found to be sub-standard anywhere in the state, district magistrates and the divisional commissioner will face the music, along with contractors and engineers.

Yogi Adityanath said a task force has already been constituted to check the quality of construction works in every district.

The task force has been asked to conduct surprise checks to ascertain the quality of all projects exceeding Rs 50 lakh.

Meanwhile, police held two contractors, taking the number of arrests in the case to five. One of them alleged that he had paid Rs 16 lakhs to an official, who is also in custody.

Contractor Ajay Tyagi, who went into hiding after the incident, was nabbed on Monday night near the Ganga Canal bridge of Sathedi village by a joint team of Murad Nagar and Niwari police, officials said.

Sanjay Garg, the owner of AS Construction Company, was arrested on the basis of Tyagi's statement.

The Ghaziabad police had on Monday arrested Murad Nagar Nagar Palika Executive Officer Niharika Singh, Junior Engineer Chandra Pal and Supervisor Ashish as they were involved in the tender process for building the structure. They were sent to 14-day judicial custody.

Meanwhile, the NHRC issued notices to the UP Chief Secretary and the Director General of Police, seeking a detailed report about the incident within four weeks.

"The report must contain review of all crematoriums, burial grounds and other such buildings, which are used by the general public for community activities in the state and maintained by the local administrative authorities. The authorities concerned must ensure proper maintenance of such places to avoid any untoward incidents in future posing danger to human lives," the statement issued by the commission added.

# मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर मामले में पूरी विस्तृत रिपोर्ट चार सप्ताह में देने के निर्देश दिए मानवाधिकार ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

## शमशान हादसा

लखनऊ | विशेष संवाददाता

मुगदनगर में हुए हादसे को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर मामले में पूरी विस्तृत रिपोर्ट चार सप्ताह में देने के निर्देश दिए हैं।

गाजियाबाद के मुगदनगर में 3 जनवरी को शमशान घाट की छत गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों जखमी हो गए थे। आयोग ने इस घटना में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि रिपोर्ट के साथ प्रदेश की ऐसे सभी शमशान घाटों, कब्रिस्तानों और अन्य स्थलों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट भी भेजी जाए जिनका गरीब व सामान्य लोग इस्तेमाल करते हैं। आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने पाएं। आयोग ने मामले में दर्ज की गई

## महिलाओं के चीत्कार से टूटा सन्नाटा

शमशान हादसे के 48 घंटे बाद भी संगम विहार में चहुं ओर मौत का सन्नाटा पसरा है। बीच बीच में मृतकों के घर से उठने वाली चीत्कार से इस सन्नाटे में खलल पड़ती है। बल्कि जिधर से चित्कार की आवाज उठती है, दर्जनों नजरें उधर उठ जा रही हैं। आखिर ऐसा हो भी क्यों नहीं, एक ही गली से एक ही दिन में पांच शव उठे हैं। वहीं इससे लगती गली से भी दो शव उठे हैं। मंगलवार की दोपहर एक बार फिर आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान की टीम लगातार तीसरे दिन मृतकों के परिजनों का हाल जानने पहुंचे। उस

समय गली में तो पचास से अधिक लोग थे, लेकिन किसी की ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी। जो लोग बोल भी रहे थे, उनकी आवाज इतनी कम थी कि थोड़ी दूरी के बाद सुनाई नहीं पड़ती थी। लेकिन इसी बीच घरों के अंदर अपनों को खो चुकी महिलाओं की रह रहकर चित्कार से यह सन्नाटा भंग हो जा रहा था। जिधर से चीत्कार उठती, लोगों की नजरें उधर ही घूम जाती थी। कुछ लोग दौड़ कर उनके घर भी पहुंच जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतकों के घर में तीन दिन से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। उनके घरों में भोजन नहीं बन रहा है।

रिपोर्ट में की गई कार्रवाई के साथ ही मुआवजा देने की स्थिति के बारे में भी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सरकार से घायल हुए लोगों की तबीयत के बारे में भी पूछा गया है। आयोग ने नोटिस जारी करते हुए यह भी कहा है कि प्रथम दृष्टया लगता है

कि ठेकेदार और अधिकारियों ने लापरवाही भरे अंदाज में काम किया, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ गई। आयोग ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

# NHRC notice to UP govt; admin starts relief work

**Peeyush Khandelwal**

peeyush.khandelwal@hindustantimes.com

**GHAZIABAD:** Taking cognisance of media reports on the roof collapse incident at the Ukharsa cremation ground in Muradnagar, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to Uttar Pradesh chief secretary and the director general of police, calling for a detailed report, where 24 people lost their lives on Sunday.

"The report must contain review of all crematoriums, burial grounds and other such buildings which are used by the general public for community activities in the state and maintained by the local administrative authorities. The authorities concerned must ensure proper maintenance of such places to avoid any untoward incidents in future posing danger to human lives," the NHRC said on Tuesday.

The Commission has also asked the state government, through its senior officers, about the present status of the investigation of the case as well as the health condition of those injured.

"The incident is required to

be investigated thoroughly so that the guilty could be adequately punished, as per the provisions of the law," the Commission added.

In the meantime, the Ghaziabad district administration has started the process of providing relief to victim families.

"We have deployed several teams of counsellors and health officials who are taking up counselling of victim families as they are under severe trauma. The education department is also taking up works related to free education and scholarship for their children. Besides, food items and ration are being provided to the families," said Ajay Shankar Pandey, district magistrate.

He added that the officials have identified 12 of the 18 affected families who will be provided benefits under different government schemes such as the Parivarik Pension Yojna, Vidhwa Pension, Pradhan Mantri Awas Yojna and also under schemes meant for disabled persons.

An FIR has been lodged into the incident and so far, five persons have been arrested.

The DM has also initiated action against the erring per-

sons and directed the police to initiate strict action against the suspects under provisions of the National Security Act, the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act and also under the Prevention of Damage to Public Property Act.

"It has also been directed to the Ghaziabad development authority and the municipal corporation to get a quality of works taken up by the contractor checked and to stop payments to him, besides getting the firm blacklisted. It has also been directed to other agencies to blacklist the contractor if he is registered with any respective agency," Pandey said, adding that recovery of payments made, along with interest, is to be initiated with issuance of recovery-certificates.

"A team of senior engineers from the authority, the civic agency and the UP Rajkiya Nirman Nigam has been constituted to check the quality of construction at the cremation ground and for other works taken up at Muradnagar. If the quality is not up to standards, recovery certificates will be issued for recovery of the funds," Pandey added.



## 'Pay Rs 3 lakh to kin of undertrial prisoner who committed suicide'

**NEW DELHI:** The National Human Rights Commission has again recommended to the Delhi government to pay Rs 3 lakh as compensation to the family of an undertrial prisoner who had "committed suicide" in Tihar jail three years ago, officials said on Tuesday.

The National Human Rights Commission, in a statement, also observed that if proper watch was maintained over him, his life might have been saved.

"NHRC has reiterated its recommendation that the Government of NCT of Delhi pay Rs 3 lakh as relief to the next of kin

of an undertrial prisoner (UTP) who committed suicide in Tihar Central Jail on May 11, 2018 for which it is yet to receive a report along with proof of payment in compliance of its directions on October 24, 2019. The life and security of a prisoner inside a jail need to be protected by the authorities concerned, but in this case, they have badly failed," the rights panel said in the statement. "The incident had apparently occurred in broad daylight due to lack of vigil on part of the prison authorities leading to human rights violation," it said.

MPOST





# Roof collapse: Yogi orders NSA against accused, ₹10L relief

**NAMITA BAJPAI** @ Lucknow

UTTAR Pradesh CM Yogi Adityanath on Tuesday directed authorities to invoke the stringent National Security Act (NSA) against all the accused responsible for the roof collapse at a crematorium in Muradnagar town.

Yogi also increased the ex gratia from ₹2 lakh to ₹10 lakh and a dwelling to those who were homeless and lost their family member in the accident.

In other developments, contractor Ajay Tyagi, the main accused in the case, was arrested past Monday midnight. With Tyagi in police net, the number of arrested stands at four. Muradnagar Municipal Board executive officer Niharika Singh Chauhan, Junior Engineer Chandrapal Singh and supervisor Ashish have already been taken into custody.

Under the National Security Act, an individual can be de-

tained without a charge for up to 12 months. The individual also need not be informed of the charges for 10 days.

The CM, meanwhile, also ordered authorities of Ghaziabad and Muradnagar to blacklist the contractor who had made the roof of the shed which collapsed on Sunday killing 25 people and leaving about 50 injured.

As the shed at the cremation ground was thrown open for the public just a fortnight back, a notice was issued to the Ghaziabad DM and the Divisional Commissioner to explain the lapses despite clear cut orders making the physical verification of new construction worth

above ₹50 lakh mandatory for authorities. "Both the officials have been asked to explain as how the lapses occurred despite strict orders for physical verification of new constructions. More heads are likely to roll in the Muradnagar case," said a highly placed source.

## **NHRC notice to UP govt**

The NHRC has issued notice to the Uttar Pradesh government and sought a detailed report in the matter within four weeks from officials.



## JAIL SUICIDE

# Pay ₹3lakh to kin of Tihar inmate, NHRC asks city govt

EXPRESS NEWS SERVICE @ New Delhi

THE National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday reiterated its recommendation to the Delhi government to pay ₹3 lakh as relief to the family of an undertrial prisoner, who had died by suicide in the high security Tihar Central Jail two years ago.

The panel has found jail authorities to be negligent in the suicide case of 37-year-old Ganori Prasad and observed that if proper watch over him was maintained, his life might have been saved. Prasad, a resident of Sarita Vihar, was lodged in the jail on April 20, 2018, over a rape charge.

In a fresh order, the apex rights panel said it was yet to receive a report along with proof of payment in compliance with its directions on October 24, 2019.

“The life and security of the prisoner inside the jail need to be protected by the authorities concerned but in this case, they have badly failed. The incident had apparently occurred in brought daylight due to lack of vigil on part of the prison authorities leading to human rights violation,” it said in a statement.

The Commission had registered the case on receipt of an intimation, as per its standing guidelines, from the superintendent of Central jail no. 3, Tihar, where Prasad was lodged.

## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गाजियाबाद के मुरादनगर में श्मशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत पर उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने माना कि ठेकेदार और संबद्ध विभाग ने साफ तौर पर लापरवाही से काम किया, जिसके कारण लोगों के जीने के अधिकार का हनन हुआ। आयोग ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट में सभी श्मशान, कब्रिस्तान और ऐसे स्थलों के बारे में पूरी समीक्षा हो। आयोग ने संबंधित प्राधिकरणों को ऐसे स्थलों के उचित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना को रोका जा सके। ब्यूरो



## ‘खुदकुशी करने वाले विचाराधीन कैदी के परिजनों को मुआवजा दे दिल्ली सरकार’

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तिहाड़ जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की खुदकुशी के मामले में मुआवजे को लेकर अपने पिछले प्रस्ताव को बरकरार रखा है। आयोग ने अपने पूर्व के प्रस्ताव को दोहराते हुए दिल्ली सरकार को मृतक के परिजनों को तीन लाख रुपये की सहायता राशि देने को कहा है। आयोग ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि यदि जेल प्रशासन ने कैदी पर नजर रखी होती तो शायद आत्महत्या की यह घटना नहीं होती। लेकिन जेल प्रशासन अपने दायित्व को निभाने में नाकामयाब रहा। दिनदहाड़े खुदकुशी की यह घटना जेल प्रशासन की लापरवाही को

दर्शाता है। यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है। इसलिए राज्य सरकार को मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये देने चाहिए।

तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी की आत्महत्या का यह मामला 11 मई, 2018 का है। दुष्कर्म और पास्को की धाराओं के तहत जेल संख्या तीन में बंद गनोरी प्रसाद (37) ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। प्रसाद के खिलाफ दिल्ली के सरिता विहार थाने में मामला दर्ज था। आयोग ने आत्महत्या के इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 24 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया था। एजेंसी



मानवाधिकार आयोग ने  
उप्र सरकार, पुलिस  
प्रमुख को भेजा नोटिस

नई दिल्ली (भाषा)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गाजियाबाद में एक श्मशान घाट की छत गिरने की घटना को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजा है। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि ठेकेदार और संबंधित विभाग ने 'लापरवाही' से काम किया जिससे कई लोगों के जीवन जीने अधिकार का हनन हुआ। आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया 'मानवाधिकार आयोग मीडिया में इस घटना को लेकर आई खबरों का संज्ञान लिया है।'